न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड)

स्टाम्प – 750/– रुपये।
E-Stamp No. [illegible]
किता–09

मैं मुख्य ट्रस्टी हस्ताक्षर कर्ता **राजीव शर्मा पुत्र श्री घनानन्द शर्मा**, निवासी **मौहल्ला गोविन्द नगर, कस्बा नूरपुर, परगना बूढपुर, तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर।** (बहै० प्रबंधक) **रामनाथ चैरिटेबिल ट्रस्ट। स्थित ग्राम आजमपुर, परगना बूढपुर, तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर।**

आज दिनांक **08.08.2024 को मु0 10,000/–रु0 से इस ट्रस्ट का प्रारम्भ कर रहा हूँ। उक्त मु0 10,000/–रु0 के अतिरिक्त ट्रस्ट के पास कोई चल या अचल सम्पत्ति नहीं है। ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी/पदाधिकारियों की** सर्व सम्मती से संलग्न स्मृति पत्र को समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यों सहित सब रजिस्ट्रार कार्यालय चान्दपुर में पंजीकृत करा रहा हूँ।

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP18068737111072W

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IV → 73 / 2024

Certificate No.	:	IN-UP18068737111072W
Certificate Issued Date	:	10-Oct-2024 12:34 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14323204/ CHANDPUR/ UP-BJN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14323204330193573210 45W
Purchased by	:	RAMNATH CHERITABLE TRUST THRO RAJEEV SHARMA MANAGE
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	VILLAGE AZAMPUR TEHSIL CHANDPUR DISTT BIJNOR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RAMNATH CHERITABLE TRUST THRO RAJEEV SHARMA MANAGE
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	RAMNATH CHERITABLE TRUST THRO RAJEEV SHARMA MANAGE
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

E-Stamp Verified

Registration Assistant
Chandpur Bijnor

E-Stamp Locked

Sub Registrar
Chandpur Bijnor

IN-UP18068737111072W

Please write or type below this line

राजीव शर्मा

QE 0015620520

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

E-Stamp No 10060737110724W

स्मृति-पत्र

1. ट्रस्ट का नाम : रामनाथ चैरिटेबिल ट्रस्ट।
2. ट्रस्ट का पता : ग्राम आजमपुर, परगना बूढपुर, तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर।
3. कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण उ0प्र0 व भारतवर्ष।
4. ट्रस्ट के उद्देश्य :

1. जन हितार्थ कार्य हेतु चिकित्सालय, योगशाला, मन्दिर, धर्मशालाओं का निर्माण एवं संचालन करना।
2. भारत सरकार के प्राकृति चिकित्सा एवं योग आदि जैसे कार्य जो मानव स्वास्थय एवं मानव जाति के उत्थान हेतु सर्वोच्च हैं के लिये निरन्त कार्य करना।
3. मानव कल्याण एवं परिवार कल्याण केन्द्रो की स्थापना करना एवं उनके अनुरुप कार्य करना।
4. ग्रामीण विकास अभिकरण स्थापित करना एवं चलाना।
5. सर्व समाज एवं वर्ग के उत्थान हेतु सूक्ष्म एवं लघु खादी कपडा जैसे उद्योगो की विस्तृत जानकारी हेतु स्कूल, कालेजों का निर्माण करना एवं उनको चलाना।
6. मानव एवं पशु पक्षियों के उत्तम स्वास्थय हेतु पैरामेडिकल कालेज, मेडिकल कालेज, (आयुर्वेदिक होमियो पैथिक प्राकृति एलोपैथी, योग) आदि का निर्माण एवं संचालन करना।
7. जन शिक्षार्थ, सेवार्थ, हितार्थ कार्य हेतु स्कूल, कालेजों का निर्माण करना एवं उनको चलाना।
8. महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना एवं चलाना।
9. मानव पशु पक्षियों की सहायतार्थ आवश्यक कार्य करना।
10. जरुरतमंदो, विधवा परित्यक्ता महिलाओं की आर्थिक सहायता करना।
11. नैसर्गिक आपत्ति जैसे बाढ, अतिवृष्टि, अनावृष्टि भूकम्प अग्निकोष आदि से पीडितो को सहायता देना।
12. वृद्धो के लिये वृद्धाश्रम एवं वामप्रस्त आश्रम का निर्माण करना।
13. विक्लांग, अपंग, अनाथ बच्चों व महिला पुरुष सभी का आधार निर्माण करना ऐसे कार्यो में जो संस्थायें कार्यरत हों उन्हे सहायता करना।
14. अच्छे संस्कार तथा जीव सुधार हेतु कार्यरत रहने वाली संस्थाओं की सहायता करना।

राजीव शर्मा

E-Stamp No 18060737111072W

15. राष्ट्र के लिये तथा समाज के लिये सेवा कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की सहायता करना।
16. इस ट्रस्ट के अनुरुप कार्य करने वाली संस्थाओं को सहायता देना।
17. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ती हेतु शुल्क, दान, चन्दा, उपहार आदि के रुप में सहायता लेना एवं करना।
18. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक्ता अनुसार ट्रस्ट के लिये चल व अचल सम्पत्ति खरीदना, दान में लेना, देना किराये पर लेना व देना।
19. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थाई आर्थिक आय प्राप्त हेतु कार्यवाही करना।

ट्रस्ट के पदाधिकारी व सदस्यों का विवरण :-

(1) प्रबंधक : राजीव शर्मा पुत्र श्री घनानन्द शर्मा, निवासी मौहल्ला गोविन्द नगर, कस्बा नूरपुर, परगना बूढपुर, तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर। मो0-7017949907 आधार-XXXX XXXX 8138

(2) सचिव : रीना शर्मा पत्नी श्री राजीव शर्मा निवासी मौहल्ला गोविन्द नगर, कस्बा नूरपुर, परगना बूढपुर, तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर। मो0-9870904345 आधार-XXXX XXXX 5823

(3) कोषाध्यक्ष : रचित शर्मा पुत्र श्री राजीव शर्मा निवासी मौहल्ला कबीर नगर, कस्बा नूरपुर, परगना बूढपुर, तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर। मो0-6398206874 आधार-XXXX XXXX 9292

(4) सदस्य : श्री घनानन्द शर्मा पुत्र श्री प0 रामनाथ शर्मा निवासी मौहल्ला गोविन्द नगर, कस्बा नूरपुर, परगना बूढपुर, तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर। मो0-9411670121 आधार-XXXX XXXX 0780

(5) सदस्य : श्रीमति सुधा शर्मा पत्नी श्री घनानन्द शर्मा निवासी मौहल्ला गोविन्द नगर, कस्बा नूरपुर, परगना बूढपुर, तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर। मो0-7017482216 आधार-XXXX XXXX 4752

राजीव शर्मा

E-Stamp No 10068737111o720

नियमावली

1. ट्रस्ट का नाम : रामनाथ चैरिटेबिल ट्रस्ट।
2. ट्रस्ट का पता : ग्राम आजमपुर, परगना बूढपुर, तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर।
3. कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण उ०प्र० व भारतवर्ष।
4. संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार।
5. **संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :–**

(अ) **आजीवन सदस्य :–**
ट्रस्ट की आजीवन सदस्यता प्राप्त करने के लिये 10,000/– रु० देय होंगे या जो इतने ही मूल्य की सम्पत्ति दान में देगा वह प्रबंधक आजीवन होगा तथा सम्पूर्ण अधिकार प्रबन्धक के होंगे।

(ब) **विशिष्ट सदस्य :–**
विशिष्ट सदस्यता प्राप्त करने के लिये 5,000–रु० देय होंगे व समिति के आवाहन पर समिति की सेवा में तत्पर रहेंगे।

(ग) **सामान्य सदस्य :–**
ट्रस्ट से जुड़ने के लिये सदस्यता शुल्क 500/–रु० देय होगा व अपनी सुविधा व समयानुसार समिति के कार्यक्रम में आना होगा।
ट्रस्ट की प्रारम्भिक धनराशि 10,000/–रु० होगी।

5. **सदस्यता निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त हो जायेगी।**

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. सदस्यता से त्याग पत्र देने एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट द्वारा उसके स्वीकृत हो जाने पर।
3. ट्रस्ट के किसी अभियोग के कारण हटाये जाने पर।
4. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किये जाने पर अथवा दण्डित किये जाने पर।
5. पागल हो जाने पर।
6. ट्रस्ट की सदस्यता शुल्क समय से जमा न करने पर।
7. ट्रस्ट के सदस्यों के विपरीत कार्य करने पर।
8. त्याग–पत्र स्वीकृत होने पर।
9. किसी भी नये सदस्य का चयन करने के लिये प्रबंधक, कोषाध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष इनमें से कोई भी दो एवं आजीवन सदस्यों में से किन्ही 4 सदस्यों की अनुमति अनिवार्य है।
10. किसी भी उपरोक्त ट्रस्ट की परमार्थी आवश्यक्ता पर ट्रस्ट के खाते से धनराशि निकालने का अधिकार प्रबंधक के हस्ताक्षर द्वारा ही मान्य होगा। प्रबंधक की अनुपस्थिती में धनराशि निकालने का सम्पूर्ण अधिकार सचिव को होगा।
11. समस्त निर्णयों में परिर्वतन व रद्दीकरण का सम्पूर्ण अधिकार ट्रस्ट के प्रबंधक को प्राप्त होगा।

राजीव शर्मा

<u>ट्रस्ट की साधारण सभा के कर्तव्य :–</u>

- वार्षिक रिर्पोट तैयार करना।
- वार्षिक बजट पास करना।

12. **प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य –**

- समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
- संस्था के अभिलेखों की जांच करना व उन पर हस्ताक्षर करना।
- समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
- पारित बजट के अन्दर व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।
- किसी भी कार्यवाही का सचांलन करना।
- ट्रस्ट हेतु दान, अनुदान व चन्दा प्राप्त करना।

14. प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक तथा कोरम :–

(अ) प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक माह में एक बार आवश्यक होगी। जिसकी सूचना पांच दिन पूर्व प्रबन्धकारिणी समिति के सभी सदस्यों को दी जायेगी आवश्यक्ता पड़नें पर दो दिन पूर्व सूचना देने पर विशेष बैठक बुलायी जा सकती है।

(ब) बैठक की गणपूर्ति दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से होगी।

(स) प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा द्वारा शेष अवधि में लिये उसके बहुमत द्वारा होगी।

(द) ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के नाम से कहीं भी सम्पत्ति खरीद सकते है तथा उस सम्पत्ती को बेचने का अधिकार सर्व सम्मती से ही होगा।

8– प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार :–

(अ) वार्षिक आय – व्यय का बजट तैयार करना तथा साधारण सभा की वार्षिक बैठक में पेश करना।

(ब) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपसमितियों का गठन करना।

(स) संस्था के हित में सभी आवश्यक कार्य करना तथा विभाग में सरकारी सहायतार्थ आवेदन करना।

9– प्रबन्धकारिणी समिति का भंग किया जाना :–

यदि प्रबन्धकारिणी समिति संस्था के हित के विरुद्ध कार्य करेगी तो उसे साधारण सभा अपनी विशेष बैठक में स्पष्ट बहुमत से प्रस्ताव पारित करके प्रबन्धकारिणी समिति को भंग कर सकती है तथा नवीन प्रबन्धकारिणी समिति का गठन पूर्ण काल के लिये कर सकती ळें

10– प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के कर्तव्य :–

(1) <u>प्रबन्धक</u> – प्रबन्धक संस्था का विशिष्ट सदस्य एवं सम्मानित व्यक्ति होगा तथा संस्था को जीवित रखने का कार्य करेगा। यह व्यकित बुद्धिजीवी एवं शिक्षित, सरकारी गैर सरकारी, सामाजिक रुप से सममानित स्वच्छ एवं स्पष्ट चरित्र वाला व्यक्ति होगा

(2) <u>सचिव</u> – बैठकों की सूचना सदस्यों एवं पदाधिकारियों को देना, संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना। सदस्यों के नाम सदस्यता के रजिस्टर में नोट

राजीव शर्मा

E-Stamp No 1006873711072W

करना, पिछली कार्यवाही को पढ़कर सुलभ वर्तमान कार्यवाही को नोट करना, बैठकों को बुलाना, बैठकों का संचालन करना, अध्यक्ष के कार्यो में पूर्ण सहयोग करना, संस्था की आर्थिक आय को बढ़ाना तथा 5 हजार तक के भुगतान कराने एवं खर्च कराने का अधिकार होगा तथा अधिक खर्च तथा भुगतान के लिये अनुशासन मण्डल की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। संस्था के खातों का संचालन करना।

(3) **कोषाध्यक्ष** – आय व्यय का लेखा जोखा रखना, सदस्यों को चन्दे व सहायता की रसीद देना, अध्यक्ष एवं महामंत्री द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना। वर्ष में आय–व्यय तथा बाकी कोष से सम्बन्धित रिपोर्ट देना।

(4) **आडीटर** – आडिटर के द्वारा प्रत्येक छः माह में बैंक के खाते का आडिट करके प्रबंधकारणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

11. नियमावली में संशोधन :–

साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा नियमानुसार संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन तथा परिवर्तन किया जायेगा।

12(अ) ट्रस्ट का कोष एवं लेखा जोखा :–

ट्रस्ट का एकाउन्ट (कोष) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/शैडयूल्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस में रखा जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धकारिणी समिति की अनुमति से प्रबन्धक व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। सचिव की अनुपस्थिती में उप कोषाध्यक्ष द्वारा खाते का संचालन किया जायेगा।

12(ब) ट्रस्ट के फण्ड के रुप में प्रबंधक/संरक्षक (आजीवन) द्वारा 10 हजार रुपये दस हजार रुपये की राशि ट्रस्ट को प्रदान की जायेगी और यह आशा रखते हुए कि यह राशि सदैव बढ़ती रहे।

13. ट्रस्ट द्वारा अथवा उनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरादायित्व :–

ट्रस्ट द्वारा अथवा उनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष पर संयुक्त रुप से होगा।

14. ट्रस्ट के अभिलेख :–

1. **सदस्यता रजिस्टर** – ट्रस्ट में एक सदस्यता रजिस्टर होगा और उसी में सभी सदस्यों के नाम, पिता का नाम, पता अंकित होगा।
2. **कार्यवाही रजिस्टर** – कार्यवाही रजिस्टर में जो संस्था की बैठक होगी अथवा संस्था के बारे में जो भी विचार विमर्श होगा उसका लेखा–जोखा कार्यवाही रजिस्टर में अंकित होगा।
3. **स्टॉक रजिस्टर** – स्टाक रजिस्टर में संस्था के सभी सामानों व आये गये सामानों का ब्यौरा होगा।
4. **कैश बुक** – कैश बुक में वित्त से सम्बन्धित आय–व्यय का ब्यौरा अंकित होगा।

15. सी० बी० एस० ई० से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बध मे क से ट तक की सभी शर्ते स्वीकार किये जाना

राजीव शर्मा

आवेदन सं०: 202400716020691

न्यास पत्र

बही स०: 4	**रजिस्ट्रेशन स०: 73**	**वर्ष: 2024**

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 560

श्री रामनाथ चैरिटेबिल ट्रस्ट। द्वारा
राजीव शर्मा बहै० प्रबंधक अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री घनानन्द शर्मा
व्यवसाय : अन्य
निवासी: निवासी मौ० गोविन्द नगर कस्बा नूरपुर।

राजीव शर्मा बहै० प्रबंधक अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, रामनाथ चैरिटेबिल ट्रस्ट। द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 10/10/2024 एवं 01:21:48 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनूप कुमार सिन्हा
उप निबंधक :चांदपुर
बिजनौर
10/10/2024

पुनीत कुमार .:
निबंधक लिपिक
10/10/2024

प्रिंट करें

E-Stamp No 10068737116720

(क) विघालय की पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विघालय की प्रबन्ध समिति में राज्य सरकार के जिला स्तर के किसी अधिकारी को संस्था द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।

(ग) विघालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विधालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विधालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/ काउसिंल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(ड) संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भतों से कम वेतनमान तथा अन्य भते नहीं दिये जायेगें ।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विधालय में कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगें ।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उसका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ञ) उपर्युक्त क्रम क से झ में कोई परिवर्तनध्संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नहीं दिया जायेगा ।

(ट) उपर्युक्त क्रम क से ज तक के प्रतिबन्धों को ट्रस्ट/सोसाइटी के उपर्युक्त क्रम क से ट तक के प्रतिबन्धों की सभी शर्तें स्वीकार हैं।

राजीव शर्मा

आवेदन सं०: 202400716020691

बही स०: 4　　रजिस्ट्रेशन स०: 73　　वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री रामनाथ चैरिटेबिल ट्रस्ट। के द्वारा राजीव शर्मा बहै० प्रबंधक, पुत्र श्री घनानन्द शर्मा

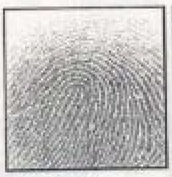

निवासी: निवासी मौ० गोविन्द नगर कस्बा नूरपुर।

व्यवसाय: अन्य

राजीव शर्मा

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री संजीव कुमार, पुत्र श्री बलराम सिंह

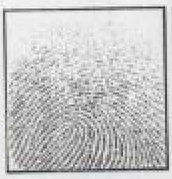

निवासी: निवासी ग्राम गोपालपुर राजा का ताजपुर पर० बूढपुर।

व्यवसाय: अन्य　संजीव

पहचानकर्ता : 2

श्री हरी सिंह, पुत्र श्री रामदास

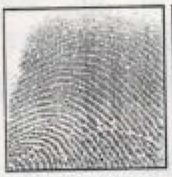

निवासी: निवासी ग्राम आजमपुर पर० बूढपुर।

व्यवसाय: अन्य

हरीसिंह

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनूप कुमार सिन्हा
उप निबंधक : चांदपुर
बिजनौर
10/10/2024

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

पुनीत कुमार ..
निबंधक लिपिक बिजनौर
10/10/2024

प्रिंट करें

E-Stamp No 1006073711072W

अतः आज दिनांक **10-10-2024** को यह स्मृति पत्र लिख दिया गया ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवे।

राजीव शर्मा

गवाह–1 संजीव
संजीव कुमार पुत्र श्री बलराम सिंह
निवासी ग्राम गोपालपुर, राजा का ताजपुर
पर0 बूढपुर तह0 चान्दपुर जिला बिजनौर।
मो0–**9756796638**

गवाह–2 हरीसिंह
हरी सिंह पुत्र श्री रामदास
निवासी ग्राम आजमपुर
पर0 बूढपुर तह0 चान्दपुर जिला बिजनौर।
मो0–**9557382018**

मोबाइल–8273077925

प्रदीप कुमार अग्रवाल (दस्तावेज लेखक)
प्रांगण उपनिबन्धक कार्यालय चान्दपुर जिला बिजनौर।

हस्ताक्षर प्रदीप कुमार

आवेदन सं०: 202400716020691

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 37 के पृष्ठ 195 से 214 तक क्रमांक 73 पर दिनाँक 10/10/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनूप कुमार सिन्हा
उप निबंधक : चांदपुर
बिजनौर
10/10/2024